भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1602
(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

बिहार में निवेशक दीदी

1602. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें 'निवेशक दीदी' योजना के चरण-। और चरण-II के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;
(ख) वित्तीय सहायता प्रदान की गई प्रशिक्षित महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है; और
(ग) बिहार में जिला-वार लाभार्थियों की सूची क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): निवेशक दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), महिला मंडलों और अल्पसेवित क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों की महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल के अंतर्गत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी)/कैम्प आंगनवाड़ी, एसएचजी और महिला मंडलों में आयोजित किए जाते हैं। इस पहल के अंतर्गत विशेष रूप से महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण के प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख): निवेशक दीदी पहल में वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग): उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई लाभार्थी नहीं है।

******